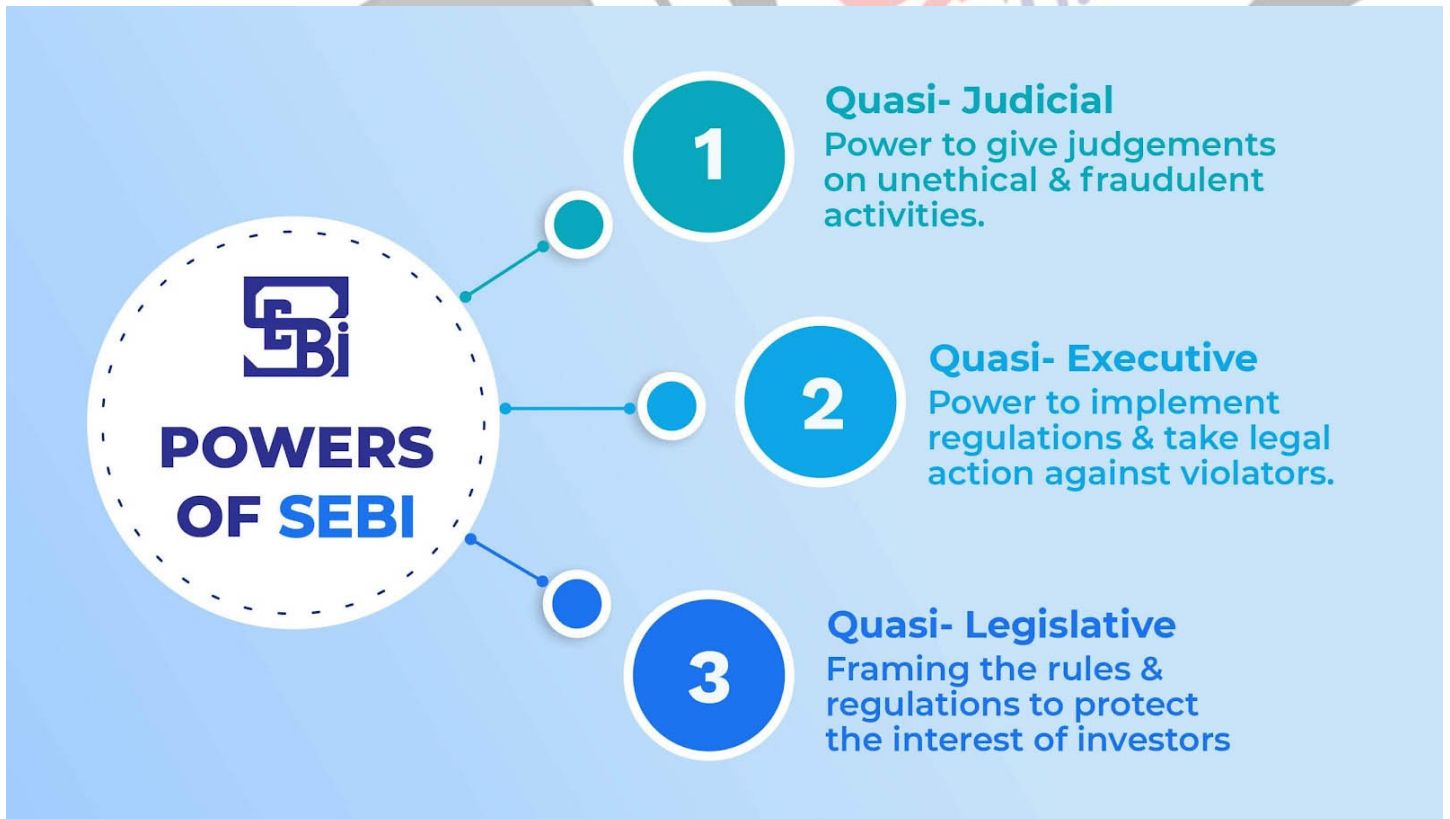


सेबी द्वारा धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों को चेतावनी

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड (SEBI) ने अपने पंजीकृत [वर्देशी पोर्टफोलियो नविशकों](#) के साथ संबंधों का गलत दावा करने वाले भ्रामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के संबंध में एक चेतावनी बयान जारी किया है।

- वे सेबी-पंजीकृत FPI के रूप में प्रस्तुत करके स्टॉक खरीद, IPO सदस्यता के साथ-साथ अन्य "संस्थागत खाता लाभ" तक पहुँच सुनिश्चित करने के वादे के साथ लोगों को प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिये वविश करते हैं।
 - ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम, सेमिनार एवं मॅटरशपि कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं, व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाभ उठाते हैं।
- सेबी ने स्पष्ट किया कि [सेबी \(वर्देशी पोर्टफोलियो नविशक\) वनिमिय, 2019](#) में उल्लिखित सीमिति अपवादों के साथ **FPI मार्ग नविासी भारतीयों के लिये सुलभ नहीं है।**
 - इसके अतरिकित संस्थागत खाते के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- FPI में **स्टॉक, बॉन्ड एवं म्यूचुअल फंड** जैसी भारतीय वत्तीय संपत्तियों में वर्देशी व्यक्तियों, नगिमें तथा संस्थानों द्वारा कयि गए वत्तीय नविश शामिल हैं।
 - **प्रत्यक्ष वर्देशी नविश** के वपिरीत, जसिमें परसिंपत्तियों का दीर्घकालिक स्वामित्व शामिल होता है, FPI मुख्य रूप से **अल्पकालिक लाभ तथा पोर्टफोलियो वविधीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होता है।**



और पढ़ें... [भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड \(सेबी\), वर्देशी पोर्टफोलियो नविशक](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/sebi-warns-against-fraudulent-trading-platforms>

